राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सीकर

Email: Principal.mc.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक– मेडि.कॉलेज / संस्थापन / 2021 / 77

दिनांक– 24.05.2021

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेशांक मेडि.कॉलेज / संस्थापन / 2021 / 44 दिनांक 04.05.2021 की अनुपालना में दिनांक 08.05.2021 को इस कार्यालय में सीनियर रेजीडेन्ट के पदों के लिये आयोजित चल साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन किया गया है :–

क.स.	नाम	जन्मतिथि	पद	विभाग
1.	डॉ0 सुमन रूहेला	01–09–1979	सीनियर रेजिडेंट	नेत्र रोग

उपरोक्त अभ्यर्थियों का चयन सीनियर रेजिडेन्ट्स के पदों पर कार्यग्रहण तिथि से अधिकतम 1 वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जाता है:–

1. सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर चयन एक वर्ष के लिए अस्थाई(Tenure)तौर पर किया जाता है।
2. जो अभ्यार्थी चयन से पूर्वस्थाई / अस्थाई तौर पर राज्य सेवा में कार्यरत / अन्य संस्थानों में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण की तय समय सीमा में कार्यग्रहण करना होगा।
3. उपरोक्त चयनित अभ्यार्थी को इस आदेश की दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
4. राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यार्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप नियुक्ति वेतन देय है। अन्य अभ्यार्थीयों को राजमेस के नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा ।
5. सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा जिसके लिए 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश (1 वर्ष में) देय होगा इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिये गये अवकाश की अवधि का कोई वेतन / स्टाईफण्ड एवं अनुभव प्रमाणपत्र देय नही होगा।
6. सीनियर रेजीडेन्ट महिला अभ्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार रेजीडेन्सी के दौरान केवल एक बार अधिकतम 6 माह का प्रसूति अवकाश नियमानुसार देय होगा।
7. सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थीयो के प्रशिक्षण कार्य व अन्य कॉलेज एकेडमिक कार्यो / रिसर्च कायों में भाग लेना होगा जिसके लिए शिक्षक के रूप में उनके अनुभव की गणना की जावेगी जो भविष्य में अभ्यार्थी के कार्य अनुभव प्रमाणपत्र में वर्णित रहेगी ।
8. चयनित अभ्यर्थी हड़ताल / सामूहिक अवकाश इत्यादि में भाग नही ले सकेगें तथा इन गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
9. इस पद पर कार्यरत अभ्यार्थी न्यूनतम एक माह की अवधि का अग्रिम नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेगे। एक माह का नोटिस नही देने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टाईफण्ड / वेतन राजकोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
10. चयनित अभ्यार्थीयों पर राजमेस व राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग राज0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश व शर्ते लागू होगी।
11. अभ्यार्थियों को सभी शैक्षणिक / कार्यानुभव / एकेडमिक / पब्लिकेशन्स / जन्मतिथि / अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन मेडिकल कॉलेज, सीकर द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करते समय किया जावेगा। साथ ही अभ्यार्थियों को सक्षम स्तर से दो चरित्र प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, सन्तान से संबधित राज्य सरकार के नियमानुसार शपथपत्र इत्यादि भी डयूटी ज्वाईन करते समय प्रस्तुत करनें होगें ।

(डॉ0 के0के0वर्मा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर

क्रमांक– मेडि.कॉलेज / संस्थापन / 2021 / 77

दिनांक– 24.05.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै :–

1. श्रीमान निदेशक, राजमेस जयपुर।
2. श्रीमान अति0 निदेशक (प्रशा0) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष,- श्री कल्याण राजकीय मेडिकलकॉलेज, सीकर।
5. लेखाशाखा, कार्यालय हाजा।
6. चयनित सीनियररेजीडेंट।
7. कार्यालय प्रति।